

रजिस्टर्ड/सपीड पोस्ट/ई-मेल

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नयोजन अनुभाग-6
संख्या- I/920729/2025
लखनऊ: दिनांक28-03-2025

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के नियोजक संवर्ग के अन्तर्गत समूह-'ख' के सीधी भर्ती के सहायक नगर नियोजक, वेतन बैण्ड रु0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400.00 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर औपबंधिक रूप से नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद/जन्मतिथि	नियुक्ति/तैनाती स्थल
1	2	3	4
1	श्री प्रशान्त कुमार त्रिपाठी निवासी- 110/4, विश्वनाथ पुरी, महामना पुरी कॉलोनी, नसीरपुर, सुसुवाही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 221005	वाराणसी/13.09.1995	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

2- उक्त नवचयनित सहायक नगर नियोजक को उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सदस्य को अनुमन्य किये जाने वाले भत्ते देय होंगे और वे उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1985 यथा संशोधित प्राविधानों से शासित होंगे।

3- उक्त नवचयनित अभ्यर्थी को सहायक नगर नियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1985 के नियम-26(1) के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4- यह नियुक्ति अस्थायी एवं पेंशन रहित है। यदि बाद में सेवा अभिलेख/प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाते हैं, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य अभिलेख और प्रमाण-पत्र दिये जाने के आधार पर नियमानुसार विभागीय/आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।

5- नवचयनित सहायक नगर नियोजक द्वारा तैनाती स्थल पर अपना कार्यभार आदेश निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

6- उक्त नवचयनित सहायक नगर नियोजक को अपनी नियुक्ति/तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7- उक्त नवचयनित सहायक नगर नियोजक की ज्येष्ठता उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के नियोजन संवर्ग के सहायक नगर नियोजक के साथ बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

8- संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सहायक नगर नियोजक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों, जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य विहित अर्हता संबंधी मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यक जाँच स्वयं कर लेंगे तथा प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ कार्यभार प्रमाणक शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे:-

(1) केवल एक जीवित पत्नी/पति होने का घोषणा-पत्र।

(2) अभ्यर्थी द्वारा घोषित सम्पत्ति का विवरण/प्रमाण-पत्र।

(3) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ (किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) तथा 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

9- उक्त सहायक नगर नियोजक की सेवायें उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1985 तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों/प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्तें भी लागू होंगी, जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी।

10- यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वः सत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

Signed by

Mahendra Prasad Bharti (महेन्द्र प्रसाद भारती)

Date: 28-03-2025 09:49:08 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्रांक-210/18/03/डी.आर./एस-10/2018-19, दिनांक 09.01.2025 के संदर्भ में।

(2) मण्डलायुक्त, मेरठ।

(3) जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

(4) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(5) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(8) श्री प्रशान्त कुमार त्रिपाठी, निवासी- 110/4, विश्वनाथ पुरी, महामना पुरी कॉलोनी, नसीरपुर, सुसुवाही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 221005

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
महेन्द्र प्रसाद भारती
विशेष सचिव।